मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या- १५१/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. १५३/२०१७)
श्रीमती राम श्री आदि बनाम प्रेमचन्द्र आदि

<u>०५.११.२०२०</u>

आज प्रार्थी/याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि इस प्रकारण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनॉकित ०३.१०.२०२० के अनुपालन में प्रिन्स कुशवाहा के नाम से ₹ ९,७३,३०२ की एम.आई.एस. बनना थी, जिसका ५० प्रतिशत का ब्याज प्रिन्स कुशवाहा की संरक्षिका श्रीमती रामश्री के बचत खाते में अवयस्क के कल्याण हेतु स्थानान्तरित होना था एवं शेष ५० प्रतिशत ब्याज पुनः आवर्ती जमा योजना में नाबालिग प्रिन्स की वयस्कता तक के लिए जमा होना था। पोस्ट ऑफिस में उक्त के संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति के नाम से ₹ ४,५०,००० की एम.आई.एस. ही बन सकती है, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का निष्पादन नही हो पा रहा है। न्याय हित में उपरोक्तानुसार न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश को संशोधित किया जाना आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के प्रकाश में पारित आदेश दिनाँकित ०३.१०.२०२० के अनुसार उक्त प्रकरण में ₹ ९,७३,३०२ प्रार्थी प्रिन्स कुशवाहा अवयस्क के नाम उसकी वयस्कता तक के लिए जरिए संरक्षिका श्रीमती रामश्री के संयुक्त खाते में पोस्ट ऑफिस में मासिक आय योजना के अन्तर्गत जमा किए जाने हैं, जिसका ५० प्रतिशत ब्याज आवर्ती जमा (Recurring deposit scheme) योजना में जमा होना है तथा शेष ५० प्रतिशत ब्याज की धनराशि उक्त अवस्यक प्रिन्स के कल्याणार्थ उसकी वयस्कता तक के लिये प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती रामश्री के खाता सं. ९२३५२०१०००१३९८ आई.एफ.एस.सी. SYNB ०००९२३५ में स्थानान्तरित किये जाने हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि पोस्ट ऑफिस में एक व्यक्ति के नाम से ₹ ४,५०,००० की एम.आई.एस. ही बन सकती है। अतः ऐसी परिस्थिति में न्याय हित में प्रस्तुत प्रकरण में पारित आदेश दिनाँकित ०३.१०.२०२० में प्रार्थी प्रिन्स कुशवाहा की प्रतिकर की धनराशि के सम्बन्ध में वर्णित धनराशि ₹ ९,७३,३०२ में से ₹ ४,५०,००० की धनराशि किसी पोस्ट ऑफिस की उक्त योजना के अन्तर्गत आदेश दिनाँकित ०३.१०.२०१० के अनुक्रम में निवेशित की जाए तथा शेष ₹ ५,२३,३०२ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की मासिक आय योजना में उक्त आदेश दिनाँक ०३.१०.२०२० के अनुसार निवेशित की जाए व उक्त निवेशों में प्राप्त ब्याज की ५०-५० प्रतिशत धनराशि के संबंध में उक्त आदेश यथावत् रहेगा। आदेश दिनाँकित ०३.१०.२०२० तद्नुसार संशोधित समझा जावें एवं तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित हो।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.09 15:45:02 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI